



SSC



DELHI POLICE

CONSTABLE

भाग - 2

**इतिहास, कला संस्कृति
एवं राजनीति**



DELHI CONSTABLE

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
भारत का इतिहास		
1.	प्राचीन इतिहास	
	• सिन्धु घाटी सभ्यता	1
	• वैदिक काल	5
	• बौद्ध धर्म	8
	• जैन धर्म	10
	• महाजनपद काल	11
	• मौर्य वंश	12
	• गुप्त वंश	15
2.	मध्यकालीन भारत	
	• भारत पर आक्रमण	19
	• सल्तनत काल	20
	• मुगलकाल	25
	• भक्ति एवं सूफी आन्दोलन	31
	• मराठा उद्भव	32
3.	आधुनिक भारत का इतिहास	
	• भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन	34
	• मराठा शक्ति का उत्कर्ष	37
	• अंग्रेजों की भू-राजस्व पद्धतियाँ	39
	• गवर्नर व वायसराय	42
	• 1857 की क्रान्ति	46
	• प्रमुख आन्दोलन	48
	• कांग्रेस अधिवेशन	51
	• भारतीय क्रांतिकारी संगठन	62

भारतीय कला एवं संस्कृति

1.	भारतीय संस्कृति	66
2.	विरासत	67
3.	इण्डो इस्लामिक स्थापत्य कला	72
4.	शिल्पकला	75
5.	मूर्तिकला	75
6.	वस्त्रनिर्माण	76
7.	चित्रकला	77
8.	नृत्यकला	81
9.	रंगमंच	85
10.	साहित्य	86


राजव्यवस्था

1.	भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	89
2.	भारतीय संविधान के स्रोत	96
3.	राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य	117
4.	लोकसभा	129
5.	न्यायपालिका	143
6.	संविधान संशोधन	161

प्राचीन इतिहास

- इतिहास शब्द ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है खोज अथवा छानबीन।
- इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणित तिथि उपलब्ध है।
- ग्रीका विद्वान हैरोडोटस ने इतिहास की प्रथम पुस्तक “हिस्टोरिका” लिखी।
- हैरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
- इतिहास को जानने के लिए निम्न स्रोत हैं -
 1. पुरातात्विक स्रोत
 2. साहित्य स्रोत
 3. विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत

अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम निम्न प्रकार बांट सकते हैं।



पुरापाषाण काल

- आधुनिक मानव होमोसेपियन्स का उदय।
- मानव आग जलाना।
- इस काल में चापर - चौपिंग संस्कृति का उदय, डी एन वाडिया ने खोज की, यह उत्तर भारतीय संस्कृति है।
- दक्षिण भारत की संस्कृति हैण्ड - एकल संस्कृति है इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की।
- चापर-चौपिंग एवं हैण्ड एकल संस्कृति (उत्तर एवं दक्षिण) मिलन स्थल चौतरान (जम्मू कश्मीर) है।

प्रमुख स्थल

भीम बेटका - शैला शील चित्रों के प्रसिद्ध; डीडवाना (राजस्थान); हथनौरा

मध्य पाषाण काल

- इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं, छोटे - छोटे पाषाण उपकरणों के कारण।
- भारत में इस काल का जनक CL क्लार्क।
- मानव ने इस काल में सर्वप्रथम पशु पालन करना सीखा।
- पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। बागौर (राजस्थान) एवं आदमगढ़ (MP) में पाये जाते हैं।
- मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल शराय नाहर (यूपी) है।

उत्तर/नव पाषाण काल

- शर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द दिया।
- गार्डन चाइल्ड ने इस काल को “नव पाषाणिक क्रांति” कहा।
- ली मेंशियर ने उत्तर भारत में नव पाषाणिक उपकरण खोजे।
- नेविलियन फ्रैंजर ने दक्षिण भारत से नव पाषाणिक उपकरण खोजे।
- मानव ने कृषि करना सीखा।
- वृहद पैमाने पर पशुपालन एवं ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिले।

प्रमुख स्थल

1. मेहरगढ़ (पाक) - नव पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल 8000 BC पूर्व कृषि के साथ साक्ष्य मिले।
2. कोल्डी हवा - (यूपी) - 6000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले।
3. बुर्जहोम एवं गुपफकशाल (J&K) बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं।

नोट - प्रागऐतिहासिक काल के जनक भारत में डा. प्राइम रोज थे। जिन्होंने लिंगशुमुर (कर्नाटक) से पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे। नव पाषाण काल में दक्षिण भारत की प्रमुख फसल रागी थी।

शिन्धु घाटी सभ्यता

परिचय



हडप्पा सभ्यता

- चार्ल्स मैसन - 1826 ई. सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया।

- जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन - 1856 ई हडप्पा नगर का खोज किया।
- कनिघम ने इस श्रौर दुनिया का ध्यान दिलाया, कनिघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पितामह कहा जाता है।
- 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम शाहनी ने इसका उत्खनन किया।
- सर्वप्रथम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हडप्पा सभ्यता कहलाया।

अन्य नाम

सिंधु घाटी सभ्यता
सरस्वती नदी घाटी सभ्यता
कांस्य युगीन सभ्यता
नगरीय सभ्यता



1300 किमी समुद्री सीमा

नोट

- अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र दो स्थल थे - शारतगोई एवं मुंडीगोक हैं।
- शारतगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं
- सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी जबकि मिश्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी।
- आजादी से पूर्व खोजे समस्त स्थल पाकिस्तान में चले गये। भारत में केवल दो स्थल रहे, रंगपुर (गुजरात) और शेष (पंजाब)

- भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढी (हरियाणा) है, दूसरा बड़ा स्थल धौला वीरा (गुजरात) है।
- पिग्मट ने हडप्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिन्धु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है।
- बडे नगर (पाकिस्तान)
 - गनेडीवाल
 - हडप्पा
 - मोहनजोदड़ो

निवासी

यहाँ से प्राप्त कंकालों के आधार पर चार प्रजातियों में बांटा जा सकता है।

1. भूमध्य सागरीय
2. अल्पाईन
3. मंगोलायड
4. प्रोटो आस्ट्रालायड

सर्वाधिक प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है।

नगर नियोजन

- नगर दो भागों में विभाजित - पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दुर्ग था, पूर्वी भाग सामान्य नगर था।
- पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे। तथा पूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहते थे।
- सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान हैं।
- सिन्धु घाटी के समकालीन सभ्यताओं में इस विशेषता का अभाव।
- नगर परकोटे युक्त होते थे।
- घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल में मुख्य सड़क की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे।
- कालीबंगा दोहरे परकोटे युक्त है जबकि चम्हुदड़ो में कोई परकोटा नहीं।
- धौलावीरा तीन भागों में विभक्त है। पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्यम।
- लोथल एवं सुरकोटा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग दोनो ही एक ही परकोटे से घिरे हुए हैं।
- नगर द्विड पद्धति पर आधारित थे अर्थात् शतरंज के बोर्ड की तरह सभी नगरों को बसाया था तथा सभी मार्ग समकोण पर काटते थे।
- सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर (मोहनजोदड़ो) की मिलती है जो सम्भवतः राजमार्ग रहा होगा।
- घरों में उत्कृष्ट नाली व्यवस्था (जल निकासी हेतु)
- बड़ी नालियों को ढक कर रखते थे।
- भवन के अन्दर सामान्यतः 3 या 4 कक्षा, रसोईघर, 1 विद्यालय स्नानागार एवं कुश्रां होता था। कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंट का आकार - 1 : 2 : 4

- जल निकासी हेतु पक्की ईंटों की नालियां होती थी विश्व की किसी अन्य सभ्यता में पक्की नालियों के शाक्ष्य नहीं मिलते थे।

प्रमुख नगर

1. हडप्पा

पाकिस्तान के पंजाब के मोंट्रोमरी जिले में स्थित (शुब- शाहीवाल जिले में) रावी नदी के तट पर

- उत्खननकर्ता - दयाराम शाहनी
- रावी नदी के तट पर श्रमिकों के श्रावण एवं श्रमनागर मिलते हैं।
- R-37 नामक कब्रिस्तान मिलता है। एक शव को ताबूत में दफनाया गया है, इसे विदेशी की कब्र कहते हैं।
- शंख का बना बेल व 18 वर्तकार चबूतरे मिले हैं।
- यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली हैं।
- 6 - 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों वाला श्रावण स्थल मिला है।
- एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मृणमूर्ति मिली है। संभवतः यह उर्वरता की देवी होगी।

2. मोहनजोदड़ो

- स्थिति = लस्काना (सिन्धु, PAK)
- सिन्धु नदी के तट पर
- उत्खननकर्ता = राखालदास बनर्जी
- मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ = मृतकों का टीला (सिन्धी भाषा)

(i) विशाल स्नानागार -

- 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर
- संभवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा ?
- सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की श्राश्चर्यजनक इमारत कहा है।

(ii) विशाल श्रमनागार सिन्धु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ल. 45.71 × 15.23 मीटर चौड़ी है।

- महाविद्यालय के शाक्ष्य
- सूती कपड़े के शाक्ष्य
- हाथी का कपालखण्ड
- कांसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है।
- पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की श्रवस्था में है।
- (a) इराने शॉल ओड रखी है जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है।
- (viii) यहाँ से मेशोपोटामिया की मुहर मिलती है।

- योगी की मूर्ति मिली है।
- शिव की मूर्ति मिली है।
- बाढ़ से पतन के शाक्ष्य मिलते हैं।
- सर्वाधिक मुहरें सिन्धु घाटी सभ्यता के यहाँ मिलती हैं।

3. लोथल

स्थिति = गुजरात

- भोगवा नदी के किनारे
- उत्खननकर्ता = S. R. राव (रंगनाथ राव)
- यह एक व्यापारिक नगर था।
- (i) यहाँ से गोदीवाडा (Dockyard) मिलता है
 - यह सिन्धु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है।
 - मनके (Bead) बनाने का कारखाना
 - चावल के शाक्ष्य
 - फारस की मुहर जो गोलाकार बटननुमा है
 - घोड़े की मृणमूर्तियाँ
 - चक्की के दो पाट
 - घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं (एकमात्र)
 - छोटे दिशा सूचक यंत्र

4. सुरकोटडा / सुरकोटदा

- स्थिति = गुजरात
- (i) घोड़े की हड्डियाँ
- सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगो को घोड़े का ज्ञान नहीं था।

5. रोजदी (गुजरात)

हाथी के शाक्ष्य

6. रोपड (PB)

- मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के शाक्ष्य

7. धौलावीरा

गुजरात - कच्छ जिला (कित्ती नदी तट पर नहीं)

उत्खननकर्ता - रविन्द्र सिंह विष्ट (1990 में)

- यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया
- कृत्रिम जलाशय के शाक्ष्य। संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते होंगे। (दुर्गभाग)
- यह नगर 3 भागों में बंटा हुआ था।
- स्टेडियम एवं सूचना पट्ट के श्रवशेष मिलते हैं (खेल का मैदान)

8. चन्द्रदंडों

उत्खननकर्ता - एन. मजूमदार (डाकूश्री ने हत्या कर दी) - अर्नेस्ट मैके

- मनके बनाने के कारखाने (मणिकारी), मुहर बनाने का काम आदि।
- श्रौद्योगिक नगर
- झाकर एवं झुकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं।
- कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पद चिन्ह हैं।
- एक सौन्दर्य पेटिका मिली है। जिसमें एक लिपिस्टिक है।

कालीबंगा:-

अवस्थिति- हनुमानगढ़
 नदी-घग्घर/सस्वती/दृषद्वती/चौतांग
 उत्खननकर्ता- अमलानंद घोष
 (1952)अन्य सहयोगी- बी. बी. लाल
 बी. के. थापर
 जे. पी. जोशी एम. डी. खरें
 कालीबंगा शाब्दिक अर्थ- काली चुडिया
 (पंजाबी भाषा का शब्द)
 उपनाम- दीन हीन बस्ती- कच्ची
 ईंटों के मकान।

शामग्री

- सात अग्नि वेदिकाएँ एवं हवन कुण्ड मिले हैं।
- युग्मित शवाधान प्राप्त हुए।
- एक मानव कपाल खण्ड मिला है, जिसे मस्तिष्क शोधन बीमारी तथा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है।
- जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं (एकमात्र स्थान) एक साथ दो फसले, उगाया करते थे, जौ एवं सरसों
- मकान कच्ची ईंटों के थे बल्लियों की छत होती थी
- जल निकाली हेतु लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं अर्थात् शृद्ध जल निकारी व्यवस्था नहीं थी।
- ईंटों को धूप से पकाया जाता था।
- वृत्ताकार चबूतरे एवं बेलनाकार मुद्दे (मैसोपोटामिया) मिली है।
- लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर काली एवं शफेद रंग की रेखाएँ खींची गई हैं।
- यहाँ से एक खिलौना गाडी एवं पंख फैलाए बगुले की मूर्ति मिली है।
- यहाँ से बैल व वारहसिंहा के अस्थि अवशेष मिले हैं।
- यहाँ का नगर अन्य हडप्पा स्थलों की तरह ही है, लेकिन यहाँ गढ़ी एवं नगर दोनों दोहरे परकोटे युक्त हैं।

- यहाँ उत्खनन में पांच स्तर प्राप्त हुए हैं प्रथम दो स्तर प्राक हडप्पा कालीन हैं। अन्य तीन स्तर समकालीन हडप्पा हैं।
- यहाँ प्राचीनतम भूकम्प के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
- इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार यह हडप्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है।

हडप्पा लिपि

- लगभग 64 मूल चिह्न व 400 तक अक्षर
- दायाँ से बायाँ और लिखते थे।
- गोमूत्राक्षर लिपि एवं भाव-चित्रात्मक लिपि थी।
- 375 से 400 तक भाव एवं शब्दों का प्रयोग करते थे।

पतन के कारण

- गार्डन चाइल्ड तथा व्हीलर के अनुसार अर्यों का आक्रमण
- रंगनाथ राव तथा सर जॉन मार्शल - बाढ़
- लोम्ब्रिक-सिंधु नदी का मार्ग बदलता
- आस्टाईन एवं अमलानंद घोष-जलवायु परिवर्तन

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया।
- सारगोन अभिलेख में सिंधुवासियों को मेलुहा (नाविको का देश) कहा गया है।
- सिंधुवासियों का प्रिय पशु कुबड वाला बैल था।
- दूसरा मुख्य पशु एक सींग वाला गेंडा था।
- मातृ सत्तात्मक वाला समाज था।

वैदिक व उत्तर वैदिक काल (शाहित्य)

1500 - 600 BC

इस काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

1. ऋग्वैदिक काल (1500 BC - 1000 BC)
2. उत्तरवैदिक काल (1000 BC - 600 BC)

परिचय

वैदिक सभ्यता क्षार्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता है।

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. वेद ⇒ श्रुति | } वैदिक शाहित्य |
| 2. ब्राह्मण ⇒ | |
| 3. शास्त्रक ⇒ | |
| 4. उपनिषद ⇒ वेदान्त | |

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. वेदांग | } वैदिक शाहित्य का अंग नहीं है। |
| 2. धर्मशास्त्र | |
| 3. महाकाव्य | |
| 4. पुराण | |
| 5. स्मृतियाँ | |

इस काल का इतिहास इस काल में लिखे गए शाहित्य पर आधारित है। इस शाहित्य को वैदिक शाहित्य / श्रव्य शाहित्य भी कहा जाता है। जो निम्न है।

वेद

- वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया
- वेदों का नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है
- वैदिक मन्त्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं।
वेद 4 हैं -

1. ऋग्वेद

- ऋग्वेद में 10 मण्डल, 1028 सूक्त, 10580 (10600) मन्त्र हैं।
- पहला एवं 10वाँ मण्डल बाद में जोड़े गए हैं।
- दूसरे से लेकर सातवें मण्डल को वंश मण्डल / परिवार मण्डल कहा जाता है।
- तीसरे मण्डल में गायत्री मन्त्र का उल्लेख मिलता है।
➤ गायत्री मन्त्र की रचना विश्वामित्र ने की।
➤ गायत्री मन्त्र सवितृ / सावितृ (सूर्य) को समर्पित है।

- सर्वाधिक मूर्तियाँ मातृ देवी की मिली हैं।
- लिंग एवं योनि की पूजा करते थे।
- योग से परिचित थे।
प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे।
- मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे।
- शिंघुवासी घोडा, गाय, शेर और ऊँट से परिचित नहीं थे।
- शिंघुवासी लोहे से परिचित नहीं थे।

2. यजुर्वेद

- यह 2 भागों में है - (i) शुक्ल यजुर्वेद
(ii) कृष्ण यजुर्वेद
- यह गद्य एवं पद्य दोनों में है।
- इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है।
- मन्त्र पढ़ने वाले को "ऋध्वर्यु" कहा जाता है।
- यज्ञ - अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है।
- उपवेद - धनुर्वेद

3. सामवेद

- संगीत का प्राचीनतम स्रोत
- वैदिक मन्त्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं।
- भगवान कृष्ण का प्रिय वेद
- मन्त्रों का उच्चारण करने वाला = उद्गाता
- उपवेद = गन्धर्ववेद

4. अथर्ववेद

- अथर्व ऋषि तथा अंगीरस ऋषि - रचयिता
- अन्य नाम - अथर्वसंगीरस वेद
- इसमें काले जादू, टोने - टोटको व चिकित्सा का उल्लेख। औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र - मन्त्र आदि।
- मन्त्रों का उच्चारण करने वाला - ब्रह्म
- उपवेद - शिल्पवेद।

वेद एवं उनसे संबंधित उनके ब्राह्मणक, श्राण्यक एवं उपनिषद् ग्रंथ

वेद	भाग	विषय	पुरोहित	ब्राह्मणक	श्राण्यक	उपनिषद्
ऋग्वेद	शाकल बालखिल्य वाश्कल	छन्द/प्रार्थनाएं	होता/होतृ	ऐतरेय	ऐतरेय कौशीतकी	ऐतरेय कौशील्की
यजुर्वेद	कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद	उच्च स्वर में उचारित किये जाने वाले मंत्र	ऋध्नर्यु	शतपथ तैतरेय मायान	तैतरेय मैत्रायणी	कठ, तैतरेय वृहदायण्यक नाशण्यणश्वर श्वेतशश्वर, ईश, मुण्डक
सामवेद	कौथूम, राण्यम और जैमिन्य	संगीत, गायन	उदगता	पंचविश, षडविद्य जैमिनी	जैमिनी छन्दोग्य	केन जैमिनी छन्दोग्य
ऋथर्ववेद	शौनक, पीलाद	भौतिकवादी जादू, टोना लौकिक विधि विधान	ब्रह्मा	गोपथ	-	प्रश्न, मुण्डक, मांडुक्य

- मुण्डकोपनिषद् से शतमेव जयते लिया गया है।
- प्रथम तीन वेदों को वेदत्रय कहा जाता है।
- सबसे प्राचीन उपनिषद् छन्दोग्य उपनिषद् है।
- उपनिषद् को वेदांत कहते हैं।

वेदांग

वेदों के शरलीकरण हेतु इनका निर्माण किया गया। यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसके छह भाग हैं

1. शिक्षा - इसे वेदों की नाशिका कहा जाता है।
2. ज्योतिष - इसे वेदों की श्रांख कहा जाता है।
3. व्याकरण - इसे वेदों का मुख कहा जाता है।
4. छन्द - इसे वेदों का पैर कहा जाता है।
5. निरुक्त - इसे वेदों का कान कहा जाता है।
6. कल्प - इसे वेदों की हाथ कहा जाता है।

कल्प के अंतर्गत शुल्ब सूत्र ज्यामिति की सबसे प्राचीनग्रन्थ है।

पुराण - संख्या - 18

ऋषि लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा ने संकलित किया

- मत्स्य पुराण - सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें शातवाहन शासकों का उल्लेख, शुंगवंश का उल्लेख
- विष्णु पुराण - मौर्य वंश का उल्लेख
- वायु पुराण - गुप्त वंश का उल्लेख
- मार्कण्डेय पुराण - देवी महात्म्य - (इसका भाग दुर्गासप्तशती) महामृत्युंजय मंत्र

- मत्स्य पुराण - सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें शातवाहन शासकों का उल्लेख, शुंगवंश का उल्लेख

स्मृति साहित्य

- सबसे प्राचीन उपनिषद् छन्दोग्य उपनिषद् है।
- इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है

श्रायों का निवास

- श्रायों के निवास के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं
- बाल गंगाधर तिलक के अनुसार श्रायों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है।
- दयानंद शरश्वती के अनुसार तिब्बत मूल के श्राय हैं
 - डॉ. पैनका ने जर्मनी को मूल स्थान बताया।
 - मेक्लर मूल के अनुसार श्राय मध्य एशिया (वैक्टोरियाई) हैं।

श्रायों के उत्पत्ति के संबंधित हाल ही में शक्तीगढ में उत्खनन से भी श्रायों की मूल उत्पत्ति के संबंध में पता नहीं लग पाया।

सिंधु वाशियों का शक्तीगढ से जो डीएनए मिला है। वह डीएनए उत्तर भारतीयों एवं दक्षिण भारतीयों में भी पाया गया है।

ऋग्वेद काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है ।
- सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी । (देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा)
- गंगा व सरयू का उल्लेख 1 - 1 बार
- यमुना का उल्लेख 3 बार
- "भुजवन्त" नामक पहाड़ी चोटी का उल्लेख - जो कि हिमालय है ।
- ऋग्वेद में वर्तमान की कई नदियों का उल्लेख मिलता है ।

सिंधु	सिंध
झेलम	वितश्तता
रावी	परुषणी
व्यास	विपाशा
सतलज	शतद्रि
चेनाब	अषिकीनी
सरस्वती	सरस्वती
गोमल	गोमती
स्वात	सुवास्तु
कुर्म	कुर्भ
काबुल	कुम्भा

नोट- गोमल, स्वात, कुर्म, काबुल अफगानिस्तान की नदियां हैं ।

- ऋग्वेद कालीन प्रशासन का मुखिया राजा होता था ।
- राजा के सहयोग हेतु तीन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है ।
- यहाँ प्रशासन खंड स्तरीय होता है । जन सबसे बड़ी इकाई थी ।
- ऋग्वेद में उल्लेख 275 बार । जिसका प्रमुख राजा होता था ।
- विष का उल्लेख 70 बार ।
- ग्राम का उल्लेख 13 बार ।
 1. सभा - ऋग्वेद में आठ बार उल्लेख, कुलीन लोगों की संस्था थी ।
 2. समिति - ऋग्वेद में नौ बार उल्लेख जनसामान्य की संस्था थी ।
 3. विदथ - यह सबसे प्राचीन संस्था है । 122 बार उल्लेख मिलता है । कार्यशैली की जानकारी नहीं मिलती ।
- आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था ।
- वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी ।
- तीन वर्णों का उल्लेख मिलता है ।

- महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे । घोषा, शिक्ता, अपाला, विषपला (योद्धा), नामक महिला विदुषियों को जिक्र मिलता है ।

ऋग्वेद काल में निम्न प्रमुख देवता थे ।

1. इंद्र - ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख । इसे पुरंदर कहा गया है ।
2. वरुण - ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख । ऋत का देवता है ।
3. अग्नि - ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख ।

आर्यों की अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी ।

युद्ध गायों के लिए होते थे ।

उत्तरवैदिक काल - 1000 - 600 ईशा पूर्व

- महत्वपूर्ण स्रोत - यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद् व श्राण्यक
- आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, उत्कर्ष, विभिन्निकरण का युग
- लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत । ("चित्रित घृष्ट मृदभाण्ड")

राजनीतिक जीवन - राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था

- राजा का पद वंशानुगत हो गया था ।
- ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की विभिन्न उपाधियों का वर्णन मिलता है ।
स्वराट, विशाट, एकशाट, रघाट
- राजा की सहायता हेतु 12 रत्निन् होते थे ।
- राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था ।
 - (i) अश्वमेध यज्ञ - यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था । 3 दिन तक होता
 - (ii) राजसूय यज्ञ - राज्याभिषेक के समय किया जाता था इस दिन राजा हल चलाता था । अपने रत्निनों का निमंत्रण स्वीकार कर, उनके घर भोजन करने जाता था ।
 - (iii) वाजपेयी यज्ञ - स्थ दौंड का आयोजन करवाते थे । राजा हिंसा लेता था व हमेशा जीतता था
- राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी ।
- ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, अब अनिवार्य हो गया, जिसे 'बली' कहा जाता था । (1/16वाँ भाग)
- विदथ का उल्लेख नहीं मिलता ।
- सभा, एवं समिति का प्रभाव कम हो गया था ।
- अथर्ववेद - सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियों कहा गया है ।
- राजा की "दैवीय उत्पत्ति का सिद्धान्त" सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है ।

आर्थिक जीवन

- कृषि का विकास हो चुका था ।
- ऋथर्ववेद में “पृथिव्यु” को कृषि धरती पर लाने का श्रेय जाता है ।
शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी प्रकारों (जुताई, बुझाई, कटाई) का उल्लेख मिलता है ।
- शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में (24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले) हल का वर्णन मिलता है ।
- गेहूँ एवं जौ प्रमुख फसलें थी ।
- पशुपालन भी होता था ।
- वस्तु विनिमय होता था ।
- विनिमय में गाय व निर्यक का प्रयोग होता था ।
निर्यक - शीने का आभूषण जो गले में पहनते थे
- कृषि में लौह निर्मित उपकरणों का प्रयोग (अन्तरजीखेडा से शाक्य)
- समृद्ध का ज्ञान हो गया था ।

सामाजिक जीवन

- पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार ।
- चार वर्णों में समाज विभक्त हो गया था । किन्तु अस्पृश्यता का अभाव था ।
- ब्राह्मणों को ‘अदायी’ कहा जाता था । आरम्भ के 3 वर्ग द्विज कहलाते थे । (जनेऊ धारण करते हैं)
उपनयन संस्कार होता था ।
द्विज - दो बार जन्म लेने वाला
- क्षुद्रो को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था ।
- महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी । (वृहदारण्य उपनिषद् में याज्ञवल्क्य एवं मार्गी का संवाद मिलता है ।)
- ऋथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुःखदायी बताया है ।
- ऐतरेय ब्राह्मण में भी पुत्री जन्म को दुःखदायी बताया है । (पुत्री - कृपण कहा)
- मैत्रायणी संहिता में भी पुत्री को शराब एवं जुआ की तरह बुराई बताया है ।
- महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था । उदाहरण - मार्गी, मैत्रेयी, वेदवती ।
- सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था ।

धार्मिक स्थिति

- प्रमुख देवता - ब्रह्मा, विष्णु, महेश ।
पाँच प्रकार के यज्ञ होते थे (पंचयज्ञ)।
- (i) ब्रह्म यज्ञ
- (ii) देव यज्ञ
- (iii) अतिथि यज्ञ
- (iv) पितृ यज्ञ
- (v) भूत यज्ञ

- ब्रह्म यज्ञ को “ऋषि यज्ञ”, अतिथि यज्ञ को “मनुष्य यज्ञ” भी कहते थे । (भूत यज्ञ - प्राणी जगत् व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता)

3 ऋण

- (i) ऋषि ऋण
- (ii) देव ऋण
- (iii) पितृ ऋण

बौद्ध धर्म

संस्थापक -	गौतम बुद्ध
जन्म -	563 ईसा पूर्व
पिता -	शुद्धोधन
माता -	मायादेवी
मौसी -	प्रजापति गौतमी
पत्नी -	यशोधरा
पुत्र -	राहुल
जन्मस्थान -	लुम्बिनी (कपिलवस्तु)
आधुनिक -	रुम्भिन देई, नेपाल
वंश -	इक्ष्वाकु शाक्य क्षत्रिय
गौत्र -	गौतम

- 4 घटनाएँ जिन्होंने बुद्ध का जीवन बदल दिया -
- (i) वृद्ध व्यक्ति
- (ii) बीमार व्यक्ति
- (iii) मृत व्यक्ति
- (iv) सन्यासी
- 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया यह घटना “महाभिनिस्रमण” कहलाती है ।
- बुद्ध ने “मध्यम मार्ग” का प्रतिपादन किया ।
- बुद्ध उरुवेला चले गये एवं वहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई ।
- अब सिद्धार्थ “गौतम बुद्ध व शाक्य मुनि” के नाम से प्रसिद्ध हुये ।
- शास्त्रनाथ में कौंडिन्य एवं अन्य ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया इसे “धर्मचक्र प्रवर्तन” कहते हैं
- सर्वाधिक उपदेश - श्रावस्ती में दिये ।
- आनन्द प्रिय शिष्य तथा उपालि प्रमुख शिष्य था ।
- आनन्द के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया । प्रजापति गौतमी - पहली ‘भिक्षुणी’
- 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु - कुशीनारा में मोरखपुर (U.P.)

- भगवान बुद्ध के प्रतीक -
 1. हाथी/ शफेद हाथी - भगवान बुद्ध के गर्भस्था होने का प्रतीक
 2. शंख/कमल - जन्म
 3. घोडा - गृहत्याग का प्रतीक
 4. बोधिवृक्षा/पीपल - ज्ञान का प्रतीक
 5. पद्मिन्ह - निर्वाण का प्रतीक
 6. स्तूप - मृत्यु का प्रतीक
- 7. शम्बोधि - 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोधगया में निर्जना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई ।

ज्ञान/ दर्शन

- 4 श्रय शतय
- (i) दुःख है ।
 - (ii) दुःख का कारण है । (प्रतीत्य श्मुत्पाद)
 - (iii) दुःख निवारण है ।
 - (iv) दुःख निवारण का मार्ग है ।

अष्टांगिक मार्ग

1. शम्यक् दृष्टि
2. शम्यक शंकल्प
3. शम्यक वचन
4. शम्यक कर्म
5. शम्यक जीविका
6. शम्यक प्रयास
7. शम्यक् श्मृति
8. शम्यक् शमाधि

कार्य कारण/ कारणता शिद्धान्त - प्रतीत्य श्मुत्पाद

- (ऐसा होने पर -वैसा होना)
- दुःखों का कारण अविद्या को बताया है ।
 - कर्म शिद्धान्त में विश्वास रखते हैं ।
 - पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं ।
 - अनात्मवादी होते हैं । आत्म की अमरता में विश्वास नहीं रखते हैं ।
 - अनीश्वरवादी होते हैं । ईश्वर के प्रश्न पर बुद्ध मुश्किल देते थे ।
 - क्षणिकवाद (अनित्यवादी) - इस जगत की सभी वस्तुएँ अनित्य एवं परिवर्तनशील हैं ।
 - अश्रमपाली (वैशाली) भी बौद्ध संघ में शामिल हो गयी थी ।


निर्वाण

- निर्वाण का शाब्दिक अर्थ "दीपक/विज्ञान का बुझ जाना" होता है ।
- भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है ।

बौद्ध धर्म की चार संगीति

समय	स्थान	शासक	अध्यक्ष
1. 483 ई.पू.	राजगृह	अजातशत्रु	महाकश्यप
2. 383 ई.पू.	वैशाली	कालाशोक	शाबकमीर
3. 251 ई.पू.	पाटलीपुत्र	अशोक	मोगलिपुत्रतिस्य
4. 1 st शताब्दी	कुण्डलवन (कश्मीर)	कनिष्ठ	अश्वघोष/ वसुमित्र

- (1) प्रथम संगीति - दो पुस्तके (ग्रन्थ) लिखी गई
 - i. श्रुत पिटक: - भगवान बुद्ध का जीवन, उपदेश, शिक्षाएँ, तथा बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। इसके शुद्ध निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ (जातक) मिलती हैं । इसकी रचना अनान्द ने की थी ।
 - ii. विनय पिटक - संघ के नियम तथा बौद्ध भिक्षुओं के अचार विचार (अचरण) का वर्णन मिलता है इसकी रचना उपाली ने की थी ।
- (2) द्वितीय संगीति - बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया ।
 - स्थापित तथा महासंघिक - दो भागों में विभक्त
- (3) तृतीय संगीति - इसमें तीसरे पिटक - अभिधम्म पिटक की रचना की गई । इसमें "बौद्ध धर्म के दर्शन" का वर्णन है संयुक्त रूप से श्रुत - विनय - अभिधम्म पिटक को "त्रिपिटक" कहा जाता है अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस्य ने की थी ।
- (4) चतुर्थ संगीति - बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया हीनयान (छोटी गाडी) एवं महायान (बड़ी गाडी) हीनयान एवं महायान भी कई शाखाओं में विभक्त हो गया ।



- श्रमिंतम लक्ष्य - निर्वाण = (श्रुथ - बुझ जाना)
- मेत्रेय - भविष्य का बुद्ध
- बुद्ध ने पंचशील का शिद्धान्त दिया

बौद्ध धर्म के त्रिरत्न

बुद्ध, धम्म और संघ

- शंकराचार्य को प्रच्छन्न/छद्म बुद्ध कहा जाता है।
- बौद्ध संघ में प्रवेश उपसम्पदा कहलाती है।
- गृह त्यागना प्रव्रजा कहलाता है।
- सुतपिटक को बौद्ध धर्म का एन साइक्लोपिडिया कहा जाता है।
- बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप बोरी बडू स्तूप इण्डोनेशिया में है।

जैन धर्म

- संस्थापक - ऋषभदेव/श्रादिनाथ का वर्णन ऋग्वेद में
- 21वें तीर्थंकर - नेमीनाथ
- 22वें तीर्थंकर - श्रिष्टनेमी - (कृष्ण के समकालीन)
- 23वें तीर्थंकर - पार्श्वनाथ

महावीर स्वामी (24वें)

महावीर को निगठनाथपुत्र कहा जाता है।

- जन्म - 599 B. C. भाई - नन्दीवर्धन
- स्थान - कुण्डग्राम
- मृत्यु - पावापुरी (बिहार)
- बचपन का नाम - वर्धमान
- पिता - शिद्धार्थ
- माता - त्रिशला
- पत्नी - यशोदा
- पुत्री - प्रियदर्शना दामाद - जामाली

- 30 वर्ष में गृहत्याग।
- 13 माह पश्चात् वस्त्र त्याग भद्रबाहु की पुस्तक कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है
- 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात् ज्ञान प्राप्ति।
- जुम्बिकाग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति
- प्रथम शिष्य - जामाली।
- जामालि ने ही प्रथम विद्रोह किया।
- श्रारम्भिक 11 शिष्यों को "गणधर" कहा जाता है
- ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् महावीर व जिन (विजेता) कहलाये।
- इन्होंने त्रिरत्न की श्रवधारणा दी
 - (i) सम्यक् ज्ञान
 - (ii) सम्यक् दर्शन
 - (iii) सम्यक् चरित्र
- पंचव्रत - महाव्रत (भिक्षुओं के लिए)
श्रणुव्रत (गृहस्थों के लिए)
- कर्म शिद्धान्त (कर्म फल) तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं।
- श्रात्मा को जीव कहते हैं।
- श्राद्रव - पुद्गलो का जीव की तर्फ प्रवाहित होना
- संवर - जीव की तर्फ पृद्गलो के होने वाले प्रवाह का रूक जाना।
- निर्जरा - जीव से श्रजीव के प्रवेश को निकालने कि क्रिया।

त्रिरत्न- सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चरित्र

श्रनेकान्तवाद

- यह जैन दर्शन का तत्वमीमांसीय शिद्धान्त है।
- इश जगत में श्रनेक वस्तुएँ हैं एवं प्रत्येक वस्तु में श्रनेक गुण हैं।

श्यादवाद

- यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय शिद्धान्त है।

1. जैन शंगीति

- | | |
|------------|----------------------|
| समय | 300 ई.पू. |
| शाशक | चन्द्रगुप्त मौर्य |
| स्थान | पाटलिपुत्र |
| श्रध्याक्ष | श्रथलबाहु व भद्रबाहु |
- जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया।
 - श्रथलबाहु के श्रनुयायी-श्वेताम्बर (तेरापंथी)
 - भद्रबाहु के श्रनुयायी - दिगम्बर (समैया)

2. जैन संगीति

512 ई. में वल्लभी (गुजरात) में इसके देवर्धिगणि ऋध्यक्ष थे।


संथास प्रथा

जब व्यक्ति ऋन्न जल त्याग देता है। मौन व्रत धारण कर लेता है तथा ऋन्न में देहत्याग कर देता है।

महाजनपद काल

भारतीय इतिहास की दूसरी नगरीय क्रांति।

- 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्धों के ग्रन्थ “ऋगुतर निकाय” एवं जैनों के ग्रन्थ “भगवती सूत्र” से मिलता है
- भगवती सूत्र महावीर की जीवनी है।



राज्य	राजधानी
1 कम्बोज	हाटक
2 मांधार	तक्षशिला
3 कुरु	इन्द्रप्रस्थ
4 पांचाल	काम्पिल्य
5 कौशल	श्रावस्ती (शाकेत)
6 मल्ल संघ	कुशीनारा, कुशीनगर
7 वज्जी संघ	विदेह/वैशाली
8 ऋग	चम्पा
9 मगध	राजग्रह, गिरिवज, पाटलीपुत्र
10 कारी	बनारस/वाराणसी
11 वत्स	कौशाम्बी

12	चेदि	शक्तिमती
13	ऋत्मक	पोटन (पोटलि)
14	ऋवन्ती	उज्जयिनी
15	शूरसेन	मथुरा
16	मल्लयनगर	विशट नगर

- ऋत्मक एक मात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था।
- मल्ल संघ एवं वज्जि संघ में गणतंत्र था।
- मल्ल संघ के ऋतर्गत दो गणराज्य थे एवं वज्जि संघ के ऋतर्गत आठ गणराज्य थे।

मगध राज्य का इतिहास हर्यक वंश (544-412 ईशा पूर्व)

1. बिम्बिसार

- मल्लय पुराण में इसे द्त्रोजस कहा है।
- जैन साहित्य में - श्रौणिक/श्रैणिक
- कोशल के शासक प्रसेनजीत की बहन कोशला देवी से विवाह किया
- ऋग के शासक चेटक की पुत्री चैल्लना से विवाह किया।
- ऋग प्रदेश को जीतकर ऋजातशत्रु को गवर्नर नियुक्त किया।
- चिकित्सक जीवक को ऋवन्ती के शासक चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा।

2. ऋजातशत्रु

- कुणिक नाम से प्रसिद्ध
- मंत्री वशकार को फूट डालने के लिए वज्जी संघ भेजा तथा वैशाली का विलय मगध में किया
- रथमूशल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग इस युद्ध में किया।
- सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया।
- इसके शासन के 8 वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई।
- पाटलीपुत्र ऋजात शत्रु ने बसाया (राज. की. मा. शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 वी के ऋनुसार)

3. उदायिन/उदयनद

- सोन एवं गंगा नदी के किनारे कुशुमपुरा नगर बसाया जिसे पाटलीपुत्र कहते हैं।
(दिल्ली विश्वविद्यालय के ऋनुसार)

शिशुनाग वंश

1. शिशुनाग

- वैशाली को राजधानी बनाया।

2. कालाशोक

- द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया।
- पाटलीपुत्र को पुनः राजधानी बनाया।

मगध वंश

1. महापद्मनगद

- इसे दूसरा "भारगव" परशुराम कहते हैं। शर्वक्षत्रांतक - क्षत्रियों का नाश करने वाला कहते हैं।
- जैन धर्म को संरक्षण दिया।
- हाथीगुफा अभिलेख- इसके अनुसार इसने कलिंग को जीता। कलिंग में नहर का निर्माण करवाया वहाँ से जिनसेन की मूर्ति लाया।
- पुराणों में मगध वंश के शासकों को (शूद्र) कहा गया है।

2. धनानगद

चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी। (320 ई. पू. में) शिकन्दर के समकालीन था।

विदेशी आक्रमण

फारस (ईरानी आक्रमण)
हखमनी साम्राज्य (वंश)

डेरियस (दास्यबहु/दास)

भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। गंधार कम्बोज पर अधिकार कर लिया था।

ग्रीक/यूनानी आक्रमण

1. अलेक्जेंडर/शिकन्दर

पिता	-	फिलिप
गुरु	-	अरस्तु
माता	-	ओलम्पिया

- यह मकदूनिया/मैसिडोनिया का शासक था।
- गंधार (तक्षशिला) के शासक आम्बी ने शिकन्दर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
- झेलम/वितस्ता/हाइडेस्पिज का युद्ध - 326 ई. पू. शिकन्दर बनाम पोरोस (पुरु) के मध्य झेलम नदी के पास हुआ पोरोस पराजित हुआ।

- शिकन्दर पोरोस की बहादुरी से प्रभावित हुआ एवं उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया।
- शिकन्दर 19 महीने तक भारत में रुका।

मौर्य वंश

1. चन्द्रगुप्त मौर्य :- (322 ईसा पूर्व- 298 ईसा पूर्व)

- यूनानियों ने चन्द्रगुप्त मौर्य को सेण्ड्रोकोटस कहा है। इस नाम की पहचान शर्वप्रथम विलियम्स जॉन्स ने की।
- 305 ईसा पूर्व में सेल्युकस निकेटर को पराजित किया
- चन्द्रगुप्त का विवाह हेलना (सेल्युकस की बेटी) से हुआ। मौर्य ने बदले में सेल्युकस को 500 हाथी दिये।
- सेल्युकस निकेटर का दूत मैगस्थनीज तात्कालिक भारत की जानकारी देता है।
- मैगस्थनीज की पुस्तक - 'इण्डिका'
- 298 B.C भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलागोला गया। संलेखना/सन्धारा पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिये। (कर्नाटक)
- चन्द्रगुप्त मौर्य को प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहते हैं।

2. बिन्दुसार :- (298-273 ईसा पूर्व)

- प्रथम सिजेरियन बेबी।
- साहित्य में इसे "अमित्रोकेडीज" कहा है।
- यूनानी इतिहासकार इसे "अमित्रोचेडस्" कहते हैं
- जैन ग्रंथों में इसे 'सिंहसेन' कहा है।
- दो दूत इसके दरबार में आये :-
1. डाइमेकस (सीरिया) 2. डायनोसियस (मिस्र)
- इसके काल में दो विद्रोह हुए तक्षशिला एवं अवंती
- सीरिया के शासक एन्टीयोकस से 3 वस्तुओं की माँग की।
i. मीठी शराब (भेजेगे)
ii. सूखे अंजीर (मेवे)
iii. दार्शनिक (मना किया)
- यह आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था।

3. अशोक :- (273 ईसा पूर्व से से 232 ई. पू.)

- 269 ई.पू. राज्याभिषेक हुआ।
- बौद्ध साहित्य के अनुसार इसने 99 भाईयों की हत्या कर दी।
- शासन के आठवें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया।

भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने के लिए आये थे इन्होंने भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था।

बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर, 1764) के बाद प्रथम बार 1765 में कम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।

दीवानी - दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति।

1773 का रेग्युलेशन एक्ट

- इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद् बनाई गई। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था।
- बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे।
- इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश थे।
- कम्पनी सर्वोच्च शक्ति (गवर्निंग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया। उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए। भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

- इसमें कम्पनी के वाणिज्य एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया।
- इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मण्डल को वाणिज्य कार्यों की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यों के लिए board of central बनाया।
- भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिशम्पति के सैन्य एवं नागरिक कार्यों पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ सेंट्रल नियंत्रक मण्डल को दी।
- प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया Board of control व court of directors

- भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा।

1833 चार्टर एक्ट

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमें निहित की गई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग थे।
- गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार दिये। इनके द्वारा कानून नियामकों को कानून कहा गया तथा नये कानूनों के तहत बनाये गये कानूनों को अधिनियम या Act कहा गया।
- बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई सारी शक्ति बंगाल में गठित थी।
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला। यह व्यापारिक कम्पनी नहीं रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी।
- प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भतियों में आघात बनाने का असफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदों के उपयुक्त माना गया। इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा।

1853 A.D. का चार्टर एक्ट

- इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया तथा 6 नये सदस्य जोड़े गये जिन्हें विधायी पार्षद कहा गया। अर्थात् गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद् बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद् कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमें वही प्रक्रियाएँ अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी।
- भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया।
- सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की सेवाये थी
 - उच्च Candidate से बात
 - निम्न Unconventade

इस एक्ट में उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई।

यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयवधि नहीं दी गई।

1909 का भारत शासन अधिनियम

इसे मॉर्ले-मिन्टो सुधार कहते हैं।

लार्ड मॉर्ले भारत सचिव था तथा लार्ड मिन्टो भारत का वायसराय था।

विशेषता

1. इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई (60)। राज्यों में संख्या अलग अलग थी।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई।
3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारोंमें दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई जैसे - पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद् के सदस्य बनने की अनुमति मिली सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद् में विधि सदस्य बनाया गया।
5. मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल Separate Electorate की बात की गई।

1919 का भारत शासन अधिनियम

20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका ध्येय भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा।

- इसी आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था (मोन्ट फोर्ड एक्ट)।

विशेषता

1. केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ। यद्यपि राज्यों का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है।
2. प्रान्तीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया -
 - अक्षरित और हस्तान्तरित।
 - हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन करेगा।

- अक्षरित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से बिना विधायी परिषद् के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात् यह एक द्वैध शासन था।
- विधायिका में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था।

3. इस अधिनियम में पहली बार द्वि-सदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद् के दो सदन थे - लेजिस्लेटिव असेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा) दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे। महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया।
4. शिक्षा कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया।
5. वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एंग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया।
6. लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजन किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया।
7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया। उच्च नागरिक सेवाओं के लिए गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
8. केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये।
9. इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा।

नोट -

भारत शासन अधिनियम 1935

1. इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिससे प्रान्तों और रियासतों को सम्मिलित किया तीन सूचियाँ बनाई गई।
 1. केन्द्रीय सूची 59 विषय
 2. प्रांतीय सूची 54 विषय
 3. समवर्ती सूची 36 विषय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई।

यह संघीय व्यवस्था कभी श्रासितव में नहीं श्राई क्योंकि देशी ररशायतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया ।

2. प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्तता प्रारम्भ हुई राज्य सूची के विषयों में स्वतंत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिका के लिए जबाबदेही थे ।
3. संघीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।
 - संघीय विषयों को श्रासकृत एवं हस्तान्तरित में विभक्त किया गया ।
 - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदों जिनकी श्राधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन श्राधिकतम 10 मंत्रियों के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद् के लिए उत्तरदायी थे ।
4. इसमें 11 में से 6 प्रान्तों में द्विशदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की
 1. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, श्रासाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त उच्च सदन को विधानपरिषद् (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कहा व निम्न सदन को विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
5. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया । दलित महिलाओं एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये ।
6. 1858 के भारत शासन श्राधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद् को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारी का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
7. मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया ।
8. संघीय लोक सेवा श्रायोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा श्रायोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा श्रायोग का भी प्रावधान किया गया ।
9. भारत की मुद्रा व सख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गयी ।
10. संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 में गठित हुआ । इसकी स्थापना श्रुतराष्ट्रीय विवादों तथा संविधान (1935 श्राधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी श्रापील लंदन में त्रिवी काउंसिल में की जा सकती है । महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

भारत शासन श्राधिनियम 1947

3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउंट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे माउंट बेटन योजना कहते हैं ।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया ।


भारतीय स्वतंत्रता श्राधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विशेषताएँ थी -

1. भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित किया गया ।
2. इसमें भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी ।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन कैबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी । ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था ।
4. इसके माध्यम से दोनों देशों की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का श्राधिकार मिला साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का श्राधिकार मिला ।
5. इसने दोनों देशों की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक अपने अपने क्षेत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेगी । 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा घोषित पारित कोई भी कानून दोनों देशों पर तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे ।
6. ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमण्डल सचिव को स्थानान्तरित हो गई ।
7. 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सम्प्रभुत्व समाप्त हो गया तथा रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की श्राजादी दी गई ।
8. ब्रिटिशकाल का वीटो का श्राधिकार तथा स्वयं की अनुमति के लिए ब्रिटिश राजा का विधेयक को रोकने का श्राधिकार समाप्त हो गया किन्तु कुछ परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को यह श्राधिकार दिया ।
9. भारत के गवर्नर जनरल व राज्यों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थापित किया जिनकी शक्तियाँ यथार्थ न होकर नाममात्र की थी । इन्हें मंत्रपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करना था ।
10. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश शासन का श्रुत हुआ तथा सत्ता दोनों डोमिनियन देशों को मिली ।

- भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउन्ट बेटन तथा प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई।
- भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी।
- पाक का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था।
- सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना - गणतंत्र
- वंशानुगत होना - राजतंत्र
- नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना - लोकतंत्र

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1895 ई. में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की माँग की।
- 1921 गाँधीजी ने संविधान सभा की माँग की।
- 1934 मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की माँग की। (M.N. रॉय)
- 1935 कांग्रेस ने पहली बार अधिकाधिक तौर पर संविधान सभा की माँग की।
- 1938 कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की माँग की।
- 1940 के अग्रस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया।
- 1942 के क्रिप्स मिशन में निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रांतीय विधान मण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा।
- 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। इसकी निर्वाचन प्रांतीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा।



- जुलाई-अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था।

- कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- मुस्लिम के लिए 76 सीट आरक्षित की गयी थी। उसमें से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया।
- महात्मा गाँधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लडा था।
- कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था।
- 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानन्द सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया।
- 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- T.T. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- B.N. राव को सैद्धान्तिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था जबकि अंतिम प्रारूप, प्रारूप समिति ने तैयार किया था।
- 13 दिसम्बर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ

1. सम्प्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना।
 2. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना।
 3. नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना।
 4. नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना।
 5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना।
 6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना।
- उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका था जिसमें संविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण समितियाँ

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति - अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू
3. प्रांतीय शक्ति समिति
4. प्रांतीय संविधान समिति - अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल

5. मूल अधिकांश, अल्पसंख्यक, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए समिति - शरदर वल्लभ भाई पटेल

उप समिति


1. मूल अधिकांश उप समिति - जे.बी. कृपलानी
2. अल्पसंख्यक के लिए उप समिति - H.C. मुखर्जी
3. अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति- गोपीनाथ बारदोलोई
4. बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उप समिति - A.V. टक्कर

प्रारूप समिति

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
 2. गोपाल स्वामी आयंगर
 3. कृष्णा स्वामी अय्यर
 4. K.M. मुंशी
 5. मोहम्मद सादुल्लाह
 6. N माधव राव (B.L. मित्र त्यागपत्र)
 7. T.T. कृष्णामाचारी (D.P. खेतान की मृत्यु)
- इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया।
 - प्रथम पठन 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक किया।
 - द्वितीय पठन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया।
 - तृतीय पठन 14 नवम्बर से 26 नवम्बर 1949 तक किया।
 - 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका

1. सम्प्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई। कैबिनेट मिशन की अनुशांका के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी।
2. 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया संविधान सभा के साथ-साथ विधानमण्डल के रूप में कार्य किया।
3. आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे।



4. 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे।

5. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई।

6. संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए।
7. 26 जनवरी 1949 के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
8. वर्तमान संविधान में 25 भाग 460 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं।
9. 15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 को लागू किये गये।
 - अनु. 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता से संबंधित)
 - अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
 - अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
 - अनु. 366, 367 (निर्वाचन संबंधित शब्दावली)
 - अनु. 379, 380, 388, 391, 392, 393 बाकी सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किये गये।

संविधान सभा के द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

- 22 जुलाई 1947- राष्ट्रध्वज को मान्यता दी।
- मई 1949 में "राष्ट्रमण्डल की सदस्यता" को मान्यता दी गयी।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी।
- 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया।
- 24 जनवरी 1950 इसके दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक था और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया गया। इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप में यह कार्य करती रही (1950 तक)

संविधान की विशेषताएँ

प्रस्तावना

हम भारत के लोग - अर्थात् सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित हैं।

- भारत को - सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंचमिरपेक्षा, लोकतंत्र, गणराज्य बनाना।
- न्याय - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
- स्वतंत्रता - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपारना
- समता - प्रतिष्ठा अवसर
- बंधुता - व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखण्डता

26 नवम्बर 1949 ई. मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं।

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न

15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य (डोमिनियन स्टेट) था। इस समय की हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संचालित होती थी तथा पाकिस्तान में 1956 तक अधिराज्य रहा था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि भी अधिराज्य हैं। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र हैं लेकिन औद्योगिक रूप से इनका राष्ट्र प्रमुख आदि ब्रिटिश आडन है।

- सम्प्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र या बाह्य शक्ति से निर्देश प्राप्त नहीं करता हो अर्थात् जो राष्ट्र अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो।
- यद्यपि वर्तमान में भी हम अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय को मानते हैं तथा अन्य देशों का राजनैतिक दबाव भी हमारे ऊपर होता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभुता सीमित नहीं होती है, क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छा से रखी है और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय दबाव को भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही सहन करते हैं।

समाजवाद

भारत साम्यवादी देश नहीं है। हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है यह संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है अर्थात् योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करता है लोकतांत्रिक आन्दोलन से बदलाव लाने की बात करता है यह निजी सम्पत्ति को मान्यता देता है, यह संसाधनों के संकेन्द्रण का विरोध करता है सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए तथा गरीबों और वंचितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए।

पंथनिरपेक्ष

- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
- सभी लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
- प्रस्तावना में भी पंथनिरपेक्षता, पाश्चात्य, पंथनिरपेक्षता से अलग है क्योंकि दोनों ही पंथनिरपेक्षताओं का उच्च निम्न परिस्थितियों व

कारणों से हुआ है। पाश्चात्य पंथनिरपेक्षता पुनर्जागरण धर्म सुधार आन्दोलन के प्रबोधन के कारण अस्तित्व में आयी है। लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षता को बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण अपनाया गया है इसलिए भारत में पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म का राजनीति से पृथक्करण नहीं है बल्कि इसका अर्थ है “सर्व धर्म समभाव” और इसलिए राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। धार्मिक पहचान को मान्यता देता है इस आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा भी देता है। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। धार्मिक संस्थाओं का संचालन भी करता है। धार्मिक कार्यों के लिए सस्टिडी उपलब्ध करता है। सभी धर्मों के लिए अलग नागरिक संहिता है। धार्मिक संस्थाओं को फेरी में छूट दी जाती है।

- अतः भारत में धर्म को शासन व्यवस्था से पृथक् नहीं किया गया बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया।

लोकतंत्र

लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं।

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

यदि जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति से किये जाते हैं। इस तरह का लोकतंत्र केवल छोटे देशों में सम्भव हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप हैं -

1. Referendum (जनमत संग्रह)
2. Plebiscite (जनमत संग्रह)
3. Right to Recall
4. Initiative

- भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव नहीं है क्योंकि विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र बुनियादी ढाँचा कमजोर अर्थात् संचार के साधनों की कमी, शिक्षा का अभाव राजनैतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

इसके तहत जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिये जाते हैं।

इसके अनेक रूप हैं जैसे -

1. संसदीय शासन व्यवस्था - ब्रिटेन
2. अध्यात्मक शासन व्यवस्था - अमेरिका